गीता

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य व अन्य

16 मई, 2007

(एच.के. सेमा और वी. एस. सिरपुरकर जे.जे.)

सेवा कानूनः

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति-अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त उम्मीदवार-उनके द्वारा प्रस्तुत जनजाति प्रमाण पत्र जिसमें उन्हे माझी जनजाति से संबंधित दिखाया गया है-जाँच करने पर उनकी सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई कि वह जनजाति से संबंधित नहीं थी-उच्च स्तरीय जाति जाँच समिति ने पाया कि वह माझी जनजाति से संबंधित नहीं थी, बल्कि निषाद ''मल्लाह'' जाति से थी, जो एक पिछड़ी जाति थी। अभिनिर्धारित उम्मीदवार को जांच समिति एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी अवसर दिया गया, लेकिन वह अपना मामला स्थापित करने में विफल रही। इस तरह की नियुक्तियों से योग्य उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित करने की संवैधानिक गारंटी निराश होती

है-इसे रोका जाना चाहिए-प्राकृतिक न्याय के सिद्घान्त-सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र।

सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्रः

अनुसूचित जनजाति 'माझी'-'माझी' जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को दर्शाते हुए जारी किया गया प्रमाण पत्र-उच्च स्तरीय जाति जांच समिति ने अपीलकर्ता को माझी जनजाति से संबंधित नहीं बल्कि निषाद 'मल्लाह' के रूप में जानी जाने वाली एक पिछडी जाति से संबंधित माना। अभिनिर्धारित अपीलकर्त्ता खुद को माझी जनजाति से संबंधित होने के रूप में स्थापित करने में विफल रही।

अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, दिनांक 29.08.1986 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे जिला मजिस्ट्रेट सतना, मध्य प्रदेश, द्वारा यह दर्शाते हुए कि वह माझी जनजाति से संबंधित थी, जो कि एक अनुसूचित जनजाति थी। उनके पिता को जारी किया गया अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र दिनांक 03.11.77 के बाद में रद्द कर दिया गया और इस संबंध में एक रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में लंबित थी। एक शिकायत पर, उसके खिलाफ जांच शुरू की गई और आदेश दिनांक 09.04.2001 द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई

कि उसके पिता को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था।

उच्च स्तरीय जांच समिति ने उसके मामले की जांच की और एक निष्कर्ष दर्ज किया कि वह माझी जनजाति से संबंधित नहीं थी, लेकिन उसकी जाति निषाद "मल्लाह" थी जो एक पिछडी जाति थी। अपीलार्थी ने तब उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, और उसको खारिज कर दिया गया, उसने तत्काल अपील दायर की।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि उच्च स्तरीय जाति जांच समिति के निष्कर्ष प्राकृतिक न्याय के सिद्घान्तों का पालन न करने पर दूषित हो गये है क्योंकि उसे अपना मामला साबित करने का कोई अवसर नहीं दिया।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. अपीलार्थी को दिनांक 28.07.2003 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ऐसा उसका मामला नहीं है कि उसे कारण बताओ नोटिस मिला नहीं है। उसे उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति के समक्ष अपनी जाति साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए पूछा गया था। इसके बाद सुनवाई के लिए आगामी तारीख तय की गई, जिस तारीख को विवादित आदेश पारित किया गया।

इसलिए अपीलकर्त्ता को व्यक्तिगत सुनवाई साथ साथ अपनी जाति के समर्थन में दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्घान्तों का पर्याप्त अनुपालन है। (पैरा 15, 16 और 17) (1086-सी,डी,ई,एफ)

1.2 यहां तक कि त्वरित अपील की सुनवाई के बीच में भी अपीलकर्ता को अपनी जनजाति को 'माझी' के रूप में स्थापित करने के लिए कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन वह पूरी तरह से विफल रही। इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अपीलकर्ता को 'माझी' जनजाति से संबंधित दिखाने वाला जनजाति प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.1986 को उसके पिता के दिनांक 03.11.1977 को प्राप्त जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है, जो कि बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के है और एक निर्मित दस्तावेज है। (पैरा 21) (1087-सी,डी)

कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त जनजातिय विकासः (1994) 6 एस सी सी 241, प्रतिष्ठित।

2. यहाँ एक मामला है जहाँ एक अयोग्य उम्मीदवार आरक्षित कोटे में योग्य उम्मीदवार के पद पर कब्जा कर बैठा है। ऐसी स्थिति में, योग्य उम्मीदवार को कतार से बाहर कर दिया जाता है और योग्य उम्मीदवार के

लिए पद आरक्षित करने वाली संवैधानिक गारंटी निराश होती है। इसे एक मजबूत हाथ से रोकना होगा। (पैरा 22) (1087-एफ-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2005 की सिविल अपील संख्या 6055 उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.08.2004 से।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के डब्ल्यू.पी.नं. 28707/2003 में निर्णय व आदेश दिनांक 25.08.2004 से।

शैल कुमार द्विवेदी एवं जी.वी. राव अपीलकर्ता की और से।

एस.के. दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी.एस.बंथिया, विकास उपाध्याय, शकील अहमद सैयद प्रत्यर्थीगण की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

एच. के. सेमा, जे.

1. इस अपील में चुनौती उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. नं.28707/2003, में दिनांक 25.08.2004 को आदेश पारित किया गया, अपीलकर्ता द्घारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए।

2. इस अपील के निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह उठता है कि - क्या अपीलकर्ता गीता माझी जनजाति से संबंधित है जो कि अनुसूचित जनजाति है या निषाद/मल्लाह, जो अनुसूचित जनजाति नहीं है।

3. हमने पक्षकारों को सुना।

4. अपीलकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.1986 प्रदान किया गया था। आदेश पढ़ता हैः-

"जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी गीता पुत्री एम.एस. निषाद उत्तर प्रदेश राज्य के जिला/संभाग लखनऊ के गांव/कस्बे डी-72, निराला नगर में माझी जनजाति से संबंधित है, जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्गतः- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956)"

2. यह प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के जिला सतना में ग्राम/कस्बा कृपालपुर की कुमारी गीता के पिता श्री एम.एस. निषाद को जारी अनुसूचित/जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो कि मांझी जनजाति से संबंधित है जिसे, मध्य प्रदेश राज्य में जिला मजिस्ट्रेट, सतना में जारी किया गया, अनुसूचित जनजाति के तौर पर मान्यता प्राप्त है। (विहित प्राधिकारी का नाम पत्र क्रमांक 87114 दिनांक 03.11.77 के हवाले से।

हस्ताक्षर सी.एस.सिंह

प्रभारी अधिकारी पद नाम

(प्रमाण पत्र) (कार्यालय की मोहर सहित)

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ

स्थानः लखनऊ

दिनांक 29.08.1986"

5. यह आदेश से ही प्रकट होता है कि उसे अपीलार्थी के पिता श्री एम.एस. निषाद को मध्य प्रदेश राज्य के लिए मजिस्ट्रेट सतना के द्वारा आदेश दिनांक 03.11.1977 जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र दिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में जिला मजिस्ट्रेट, सतना द्वारा दिनांक 03.11.1977 के एक आदेश द्वारा.

6. इस स्तर पर, हम इंगित कर सकते है कि अपीलकर्ता के पिता श्री एम.एस. निषाद को जारी किया गया उक्त अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को बाद में रद्द किया जा चुका है। अपीलकर्ता के पिता को भी निलंबन में रखा गया था। हमारी जानकारी में यह लाया गया है कि दिनांक 22.02.1995 के आदेश को डब्ल्यू.पी. नं. 192 (एसबी) 1995 में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ में चुनौती दी गई है और यह अभी भी लंबित है।

7. जो भी हो, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पक्ष में दिनांक 29.08.1986 को जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, कि अपीलकर्ता माझी जनजाति से संबंधित है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिला मजिस्ट्रेट सतना के द्वारा उसके पिता के पक्ष में आदेश दिनांक 03.11.1977 के द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा जारी किया गया था।

8. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बल पर, अपीलकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे से पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए आवेदन किया। वह आरक्षित कोटे से चयनित की गयी और योग्यता सूची में शामिल किया गया। इसके बाद, दिनांक 28.03.2001 के एक आदेश द्वारा उसे पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और अभी भी उक्त पद पर कार्यरत है।

9. एक शिकायत से पहले अपीलकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर, अपीलकर्ता की सेवाएँ दिनांक 09.04.2001 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ इस आधार पर समाप्त करने की मांग की गई थी कि उसके पिता को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र 1955

में कलक्टर, सतना द्वारा रद्द किया जा चुका है। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 2001 का ओ.ए.नं. 1426 दायर किया, जिसे दिनांक 26.04.2001 के एक आदेश द्वारा सीमा में खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 2237 प्रस्तुत की, जिसे 13.05.2002 को जांच कराने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया कि क्या अपीलकर्ता माझी जनजाति से संबंधित है या नहीं।

10. उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र अनुसंधान समिति, मध्य प्रदेश द्वारा अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

11. कारण बताओ नोटिस के बाद, इस न्यायालय के निर्णय कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त जनजाति विकास (1994) 6 एससीसी 241 के आलोक में उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया गया थाः

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश

सरकार, आदिम जाति कल्याण विभाग। अध्यक्ष

(2) आयुक्त, जनजातीय विकास सदस्य

मध्य प्रदेश। सचिव

(3) सचिव, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित

जनजाति आयोग, भोपाल। सदस्य

(4) सदस्य/प्रतिनिधि, आदिम जाति

अनुसंधान संस्थान सदस्य

12. अपीलकर्ता को एक अवसर देने और सुनने के बाद और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति, अपने आदेश दिनांक 18.09.2003 द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचीः

> ''5. पुलिस अधीक्षक, सतना की जांच रिपोर्ट की जांच के बाद, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), लखनऊ, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट, कलक्टर सतना का आदेश, जाति (निर्जातीय) की जानकारी, बयान, अन्य व्यक्तियों के बयान, शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों के आधार पर, स्क्रीनिंग कमेटी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची हैः
>
> (1) उसने समिति को कोई भी ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज या तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है जिसके आधार पर यह साबित हो सकता हो कि वह माझी जाति से है।

(2) जाति मुद्दों की भी विशेष जांच करने पर यह पाया गया कि वह माझी जाति से नहीं आती, क्योंकि उसके द्वारा बताये गये गौत्र इस जाति में नहीं पाये जाते और उसने कोई जनजातीय भाषा वर्णित कर नहीं बताई। मछली पकड़ना, मजदूरी करना, खेती करना जैसे बताये गये व्यवसाय भी माझी की विशेषताएं नहीं है।

6. उपरोक्त तथ्यों की जांच करने पर समिति ने पाया कि कुमारी गीता की मूल जाति निषाद ''मल्लाह'' पिछड़ी जाति की पुष्टि करती है।''

13. उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष का अपीलकर्ता ने डब्ल्यू.पी. संख्या 28707/2003 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विरोध किया था। जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

14. अपीलकर्ता के वकील द्वारा हमारे सामने पेश किया गया जोरदार तर्क यह है कि उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उसकी जाति को साबित करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और इस तरह उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष प्राकृतिक

न्याय के सिद्घान्तों गैर-पालन के कारण दूषित हो गए हैं। हम सहमत नहीं है।

15. कारण बताओ नोटिस 28.07.2003 को जारी किया गया था। अपीलकर्ता का यह मामला नहीं है कि उसे कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है।

16. उसे दिनांक 14.08.2003 को 11.30 ए0एम0 पर समिति के समक्ष अपनी जाति को साबित करने के लिए समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया था। कारण बताओ नोटिस की चरण 6 पढ़ता हैः-

> ''6. इस संबंध में आप जो प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपनी प्रतिक्रिया के साथ प्रस्तुत करने की इच्छा रखते है, उन्हे आवश्यक रूप से उचित रूप से सत्यापित होने चाहिए। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि आपको अपनी संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है एवं जांच समिति उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपके मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वंतत्र होगी।"

17. सुनवाई के लिए आगामी तारीख 18.09.2003 तय की गई थी जिस तारीख को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। हमारे विचार में, इसिलए, अपीलकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के साथ साथ उसकी जाति के समर्थन में दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। हमारे विचार में यह प्राकृतिक न्याय के सिद्घान्तों का पर्याप्त अनुपालन है।

18. हम देख सकते है कि उसके पिता और अपीलकर्ता दोनों सुशिक्षित है। कहा गया कि अपीलकर्ता के पिता का जन्म 1.1.1947 को हुआ था। कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 3.11.1977 से पहले जरा भी दस्तावेज यह साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था कि वे माझी जनजाति से संबंधित है, जो कि अनुसूचित जनजाति है।

19. अपीलकर्ता के वकील ने हमारा ध्यान मजूमदार डी. एन. द्वारा तैयार भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, 'द रेसियल बेसिस ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर', ईस्टर्न अंथ्रोपोलोजिस्ट द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1994 में प्रकाशित की ओर आकर्षित किया। उन्होने विशेष रूप से "माझी शब्द" का उल्लेख किया जिसका अर्थ है नाविक। उन्होंने यह भी देखा कि माझी कृषि कार्यों में भाग लेते है, पानी लाते है और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। उन्होनें इस अवलोकन का भी उल्लेख किया है कि माझी का प्रमुख आर्थिक संसाधन भूमि है। उनका पारंपरिक व्यवसाय मछली पकड़ना था, कुछ नाविक के रूप में काम करते

थे। इसके द्वारा विद्वान वकील यह दिखाना चाहेंगे कि उच्च स्तरीय जाति स्क्रीनिंग समिति द्वारा दर्ज निष्कर्ष गलत है। हमारे विचार में, ये प्रमाणीकृत दस्तावेज नहीं है। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है। अपीलकर्ता की जनजातीय स्थिति तय करने के लिए ऐसी कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती।

20. वकील हमारी जानकारी में शहरी और गैर-शहरी क्षेत्र उत्परिवर्तन रजिस्टर भी लाया, जिसमें मरकाहन उर्फ मुलु माझी का वंश वृक्ष दिखाया गया है। स्पष्ट है कि आराजी नंबर 607, रकबा 33 डी.ग्राम माधवगढ़ पट्टेदार बिशेशर पुत्र मारखन मल्लाह, आत्मा राम के नाम पर दर्ज है। इससे यह भी दर्शित होगा कि वह मल्लाह/निषाद से संबंधित है।

21. इस अपील की सुनवाई के बीच में भी हमने अपीलकर्ता को कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए और समय दिया, जो उसकी जनजाति को माझी के रूप में स्थापित करेगा, जो कि दिनांक 03.11.1977 से पहले की अनुसूचित जनजाति है, लेकिन वह पूरी तरह से विफल रही। यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि अपीलकर्ता को उसके पिता के दिनांक 3.11.1977 को प्राप्त जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 29.08.1986 को माझी जनजाति के रूप में दर्शाने वाला प्राप्त जनजाति प्रमाण पत्र बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण और निर्मित दस्तावेजों के है।

22. अपीलकर्ता के वकील ने हमारा ध्यान इस न्यायालय के निर्णय कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त जनजातिय विकास (1994) 6 एस सी सी 241 की ओर आकर्षित किया। उस मामले में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित किया गया था। उम्मीदवार ने अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया और केवल अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति चाही। उस मामले के विशिष्ठ तथ्यों और परिस्थितियों में कॉलेज के प्रिसिपल को निर्देश दिया गया था कि इसे एक मिसाल बनाए बिना एक विशेष मामले के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इसलिए माधुरी (उपरोक्त) में निर्णय उस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में था। दूसरे, यहां मामला है जहां आरक्षित कोटे में योग्य उम्मीदवार के लिए आरक्षित पद पर अयोग्य उम्मीदवार कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में, योग्य उम्मीदवार को कतार से बाहर कर दिया जाता है और योग्य उम्मीदवार के लिए पद आरक्षित करने की संवैधानिक गारंटी निराश हो जाती है। इसे सख्ती से रोकना होगा।

23. परिणामस्वरूप, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है। पक्षकारों को अपना हर्जा खर्चा स्वयं वहन करने के लिए कहा जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजीत कुड़ी (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।